

तारीख
हस्ताक्षर

25/10
2021

पत्रावली प्रमाणित गाँवों के क्षेत्र अधिपति के रूप में
गाँववाण्डुय में प्रेष हुई अधिपति राज के सम्बन्ध
में लालिख चैकर प्राप्त हुए जिनमें शामिल
पत्रावली लिखित रूप में प्रेषित का प्रत्येक पत्र
स्वीकार लिखित प्रमाणित चिह्न प्रेषित में लिखा
जाकर शामिल पत्रावली लिखित रूप में पत्रावली
में प्रेषित प्रमाणित चैकर प्रेषित में प्रेषित हो।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी साण्डल
प्रशासन गाँवों के क्षेत्र प्रमाणित 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 08/21 मा-45

1- श्रीमती बाली देवी (दोस्ती नारायण लाल गाडरी निवासी - कृष्णपुरा तहसील - प्राची)

बनाम

1- रामनाथ लाल (दोस्ती नारायण लाल गाडरी निवासी - कबराडिया तहसील - विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अमवाणपुरा पटवार हल्का अमवाणपुरा तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं. 1, 2, 3, 4, 5 कुल किता 0.5 रकबा 0.9096 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7-1-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अमवाणपुरा पटवार हल्का अमवाणपुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1, 2, 3, 4, 5 कुल किता 0.5 रकबा 0.9096 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमवाणपुरा को 500/-/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला - भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर पत्थरगद्दी की जावे। 2021
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला - भीलवाड़ा
प्रशासन गौरी के तहसील 2021